that he if wanted this Bill to be discussed by the State legislatures, it is for him to bring in amendment when this Bill is taken up for consideration. That is the best course. The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Sir, I introduce the Bill.

---

15.40 hrs.

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL—*contd.*
(*Amendment of sections* 13 *and* 15)
*by Shri Madhu Limaye.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up for further consideration the Hindu Marriage (Amendment) Bill moved by Shri Madhu Limaye. We allotted two hours; 55 minutes were taken and one hour and five minutes are left. Shri R. R. Sharma was on his legs. He is not here now. Shri Salve.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मधु लिमये जी जो यह विधेयक लाए हैं इस के पीछे उन की जो भावना है, भाव है, मनोभाव हैं, वह सराहनीय है, काबिले तारीफ हैं। अपने भाषण में एक विवरण उन्होने सामने रखा था। वह मुसीबते वह अकथनीय मानसिक यंत्रणाएं जिन से उन लोगों को गुजरना पड़ता है जिन के मसले शादी के विच्छेद से या पुनर्विवाह से संबंधित है, इन के बारे में उन्होंने बताया। ये मानव स्वभाव और मानव प्रकृति से संबंधित मसले है। इन सब का सुलझाव, इन सब का उपाय किसी कानून या किसी विधेयक से निकलना तो बड़ा मुश्किल है। मगर यह जरूरी है कि इस तरीके से जब आफत के पहाड़ उन लोगों पर आ गिरते हैं जिन के जीवन की शृंखला, जीवन का प्रवाह रुक जाता है उस में कानून कम से कम इस तरीके का हो, इतनी व्यवहारिकता हो कानून में कि जो लोग एक तौर तरीके से अपने विव.हित जीवन को न चला सकें या जिन के जूडिशियल सेपरेशन की डिग्री हो गई हो वे मानसिक यंत्रणा में ज्यादा दिन तक न रहे, दो साल के बदले उस की मियाद छः महीने कर दी जाय।

15.42 hrs.

[SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the chair*]

लिमये जी ने उस रोज जो विचार रखें, वह उन का एक अराजनैतिक भाषण था, उन विचारों में बहुत शऊर था, इल्म था, विवेक की एक नई बुलन्दी थी। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए जिन से यह स्पष्ट हो गया कि एक तो मानवता का प्रश्न खड़ा हो जाता है, जिस किसी की शादी में दिक्कतें आ जायें, पुनर्विवाह में दिक्कतें आ जायं, विच्छेद का प्रश्न उपस्थित हो जाये उस में कानून ज्यादा से ज्यादा जितनी मदद कर सके उतना ही अच्छा है किसी ने कहा है कि —

रिश्ता जो मुहब्बत का टूट जाता है
देखते देखते शीराजा बिखर जाता है।
यह शीराजा जब बिखर जाता है

तो यह जरुरी है कि अपनी तरफ से कानून उस मुसीबत में पड़े आदमी को और ज्यादा मुसीबतजदा न बनाए। उन मुसीबतों को जितना दूर कर सके वह करना आवश्यक है।

एक उदाहरण मधु जी बता रहे थे कि जूडिशियल सेपरेशन के बाद या डाइवोर्स की डिक्री के बाद एक व्यक्ति ने पुनर्विवाह कर लिया पुनर्विवाह की जो मियाद कानून मे रखी है उस के पहले कर लिया। नतीजा यह हुआ कि जिस स्त्री के साथ पुनर्विवाह हुआ था उसी के लोगों ने कानून को आपत्ति उठायी और वह विवाह विसर्जित कर दिया गया। एलिमनी और डैमेजेज उस को देने पड़े। इस तरीके की दिक्कत और परेशानियों में कुछ तो मानवी दिक्कत हैं और कुछ बनाई हुई दिक्कतें हैं

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे]

इसलिए विधेयक की जो भावना है, स्पिरिट है, उसका मैं पूर्णत: अनुमोदन करता हूं और माननीय मंत्री जी तो बहुत विद्वान हैं। वह जानती हैं, तजुर्बा तो खैर, उनको नहीं है इस बात का लेकिन अपनी विद्वता से वह इस बात को जानेंगी, समझ लेंगी कि व्यवहारिकता को देखते हुए कानून में यह मियाद कम करना क्या ठीक नहीं है? क्यों कि मैं नहीं समझता कि सिद्धान्त की कोई बात इस के बीच आती है।... (व्यवधान)... जी हां, मुझे ज्यादा तजुर्बा है शशिभूषण जी 27-28 साल का, आप की भाभी जी के साथ बहुत अच्छी मेरी शादी चल रही है .. (व्यवधान) मुझे वह तजुर्बा नहीं है जिस तजर्बे का जिक्र मधु लिमये जी ने किया था...

**श्री मधु लिमये (बांका) :** दूसरो के अनुभवों के आधार पर।

**एक माननीय सदस्य :** इन को भी जवाब देने के लिए दूसरो के अनुभवो पर ही निर्भर करना पडगा।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** मैं कह रहा था कि उन को तजुर्बा नही है, उस दृष्टि से मुझे भी तजुर्बा नहीं है। मगर मुझे कम से कम शादी का तो तजुर्बा है, उन को वह भी नही है।

तो एक बड़ा मार्मिक चित्र खींचा था उन लोगों की परेशानियों और दिक्कतों का और उन को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जो सुझाव हैं वह मान लिए जाएंगे। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री बसंत साठे (अकोला) :** सभापति महोदय, मधु लिमये जी जो बिल लाए हैं मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे मधु जी जब अन्य विषयों पर यहां भाषण देते हैं और बोलते हैं तो उस में जानबूझ कर कुछ ऐसी बातें लाते हैं जिस से कि हम एक राय नही होते। लेकिन इस मामले मे मैं पूरे हृदय से उन के इरादे के साथ सहमत हूं क्योंकि मैं यह चाहता, आप को भी कुछ अनुभव है इस मामले में, वकील होने के नाते जो केसेज हमारे पास आते हैं उन में हम देखते हैं कि कितना कितना दुख इन व्यक्तियों को झेलना है...

**एक माननीय सदस्य :** वकीलों की वजह से।

**श्री बसंत साठे :** वकीलों की वजह से भी क्यों कि वह लड़ाते रहते है। उन को तो खुशी इसी में है कि दोनों पार्टीज लड़ती रहे, और जितनी ज्यादा देर वह लड़ेगी उतनी ज्यादा फीस उन की बढ़ेगी।

**श्री मूल चन्द डागा (पाली) :** यह गलत बात है।

**श्री बसंत साठे :** कुछ वकील नही होते ऐसे।

**एक माननीय सदस्य :** उन की चलती नही होगी।

**श्री बसंत साठे :** जो ऐसे नही होते उन की चलती नही है। चलती उन्ही की है जो लड़ाते रहते है और मै डागा साहब को बताऊं कि हमारी भी नही चलती है।

बात यह है कि मै तो यह चाहता कि डाइवोर्स की या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री होने के बाद इतने भी समय तक रुकने की क्या वजह है? एक बार जहां हम कहते हैं कि मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी हो गया न्यायाधीश, तो अब कोर्ट में जायें मिया बीबी कह रहे हैं कि हम इकट्ठा नही रहना चहते, या तो मिया कहता है या बीबी कहती है और उस के बाद आप कहते है कि नहीं, दो साल रुकिए, सोचिए, इस के ऊपर फिर विचार कीजिए। फिर ये केसेज इतनी देर तक चलते रहते हैं कि पहले तो कचहरियो के ही मामले में जुडिशियल सेपरेशन की डिक्र

लेने में ही दो-दो चार-चार साल लग जायें, फिर डिक्री हो तो उसके ऊपर अपील वगैरह होती रहती हैं, फिर वह फाइनल हो। उस के बाद फिर दो साल के लिए रोकना यह एक बहुत बड़ी अवधि हो जाती है। तो मेरा यह निवेदन है कि इन्होंने कहा है इस को छः महीने रखिए उस को मानने में वस्तुतः कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। मैं कोई तर्क इसके विरुद्ध सोच नहीं पाता हूं कि क्यो हम यह कहें कि इसे अब यह कहा जा सकता है कि साहब छः महीने आप ने क्यों कहा, नौ महीने क्यों नहीं कहा। नौ महीने का क्या खास महत्व है? तीन क्यों नहीं कहा?

श्री मधु लिमये : आप तीन कर दीजिए।

श्री वसंत साठे: कम करने में मेरा ख्याल है मधु जी को कोई आपत्ति नही होगी। लेकिन यह कोई तर्क नहीं हो सकता सरकार की तरफ से या और किसी की तरफ से कि आप छः महीने क्यों कह रहे हैं?

इस विषय पर मैं और ज्यादा किसी सैद्धांतिक बात में नहीं जाना चाहता हूं। हमारे समाज में शादी, हम ने यह देखा है कि अभी भी कोई पति पत्नी की सहमति से नहीं होती है। आज भी हमारे हिन्दू समाज में ज्यादतर विवाह माता पिता की इच्छा से होते हैं और बहुत से बच्चे खास कर कन्यायें, बावजूद इसके कि शारदा एक्ट है, छोटी उम्र में ही, 11-12, 13-14 वर्ष की उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं। माता-पिता अच्छा ही सोच कर करते होंगे, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि विवाह आखिर दो व्यक्तियों के जीवन का सम्बन्ध है, केवल एक दूसरे के हृदय मिलन का ही नहीं है, शारीरिक मिलन का ही नहीं है, आत्मा के मिलन का ही नहीं है। जब तक सारी चीजों का समन्वय न हो, तब तक वह विवाह सही विवाह नहीं है और यदि हम जबरदस्ती कहें कि समाज की मान्यता है, इसलिए तुम्हें इकट्ठे रहना ही चाहिए, तो केवल बच्चों के लिए ही वह मां जीवन जीती है, वह जीवन सुखी नहीं दुखी होता है। इस मामले में खास कर स्त्रियों के साथ ज्यादा अन्याय होता है, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष ज्यादा आजाद है। एक स्त्री से वह सन्तुष्ट न हो तो बाहर भी जा सकता है, उस को कोई दोष नहीं देगा। लेकिन स्त्री कहीं नहीं जा सकती, स्त्री जरा आंख उठा कर किसी की तरफ देख ले तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप होगा और उस का जीवन दुःसह्य हो जायेगा अनैतिकता का आरोप होगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह आप अपने अनुभव से कह रहे हैं।

श्री वसंत साठे : यह आज हमारे समाज की वस्तुस्थिति है। हमारे डागा जी शायद रूढ़ि परम्परा के पक्ष में होंगे, वे कहेंगे कि हिन्दू समाज में स्त्री को विवाह विच्छेद का अधिकार होना ही नही चाहिए, एक बार किसी पुरुष के साथ जकड़ दिया गया, विवाह बन्धन में बांध दिया गया तो एक गाय या बकरी की तरह जिन्दगी भर उस के खूंटे से बंधी रहे— लेकिन वास्तव में यह बात अन्यायकारी है।

सभापति जी, मेरा यह कहना है कि आज, जब कि इस वर्ष हम महिलाओं का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं, कम से कम स्त्री अधिकार का एक कदम तो उठाये, इतना अधिकार स्त्री को देने की मेहरबानी करें, क्योंकि इस में ज्यादा सवाल स्त्री के ऊपर होनेवाल अत्याचारों का है। मधु लिमये जी जो बिल लाये हैं—आज इस वर्ष में मेरी यह मान्यता है—अक्सर यह होता है कि प्राइवेट मेम्बर्स बिल लाता है, उन को हम यह कहते हैं कि हम इस पर सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे या सरकार की ओर से कोई काम्प्रीहेन्सिव बिल लायेंगे। लेकिन जहां तक इस बिल का सम्बन्ध में यह ठीक है कि इस सवाल के साथ कुछ दूसरे सवाल भी जुड़ हुए हैं—हिन्दू मैरिज एक्ट में बहुत काफी परिवर्तन होने की गुंजाइश है, खास तौर से जो इस में कारण

[श्री वसंत साठे]

लिए हुए हैं उन में भी काफी तबदीली की जरूरत है, हालांकि मधु लिमये जी ने तो अपने बिल को बहुत सीमित रखा है, 6 महीने के लिए कहा है....

**श्री मधु लिमये** : जल्दी फैसला हो जाये, इस लिए ऐसा रखा है।

**श्री वसंत साठे** : मुझ मालूम है आज बहुत से ऐसे केसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पैन्डिग हैं। आप जरा सोचिए—एक स्त्री के पुनर्विवाह की आयु क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए ? यदि विवाह होने के बाद दो-चार साल में दिखाई दे कि वह विवाह नहीं चल पा रहा है—किसी भी कारण से, तो आप सोचिए—वह आजाद हो कर पुनर्विवाह करना चाहे तो क्या उम्र होनी चाहिए। अगर 30–35 या 40 साल तक की उम्र उस की इस झगड़े में चली जाये और और उस के बाद आप यह आशा करें कि वह अपना जीवन किसी दूसरे के साथ शादी कर के बिता सकती है—मैं समझता हूं कि यह अन्याय होगा।

इसलिए में महिषी जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरकार की ओर से इस के पीछ जो भावना है उस को स्वीकार करें और यदि वे सर्वांगीण सुधार करने के लिए कोई कम्प्रीहेन्सिव बिल लाना चाहती हैं—हिन्दू विवाह कानून के बारे में—तो फिर मैं कहूंगा कि ठीक है, मधु जी को कहा जा सकता है कि वे उस आश्वासन को मान लें। लेकिन यदि ऐसी सम्भावना नहीं है तो कम से कम उन को राहत देने के लिए मधु लिमये जी के बिल को स्वीकार करना चाहिए—ऐसी मेरी प्रार्थना है।

**श्री शशि भूषण** (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, मधु लिमये जी जो प्रस्ताव लायें हैं—उस में दो रायें नहीं हो सकतीं। वे स्वयं अन्तर्यामी भी मालूम होते हैं, बहुत से लोगों की व्यथा का शायद उन्होंने अनुभव किया है। इस सम्बन्ध में गहराई से विचार करना होगा और मैं तो मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अगर कोई कमेटी बनाई जा सके और वह विचार करके फैसला दे, क्योंकि जो बड़ी उम्र के लोग हैं कहीं उन को इस से इन्सेन्टिव न मिल जाये, क्योंकि आम तौर पर इस का समर्थन उन लोगों से आया जिन की उम्र लगभग 50 वर्ष से ऊपर है। आम तौर पर वही लोग पुनर्विवाह करते हैं, 50 के बाद ही ऐसे विवाह होते हैं। मंत्री महोदय अगर इस बात को बतलायें तो बड़ी अच्छी बात होगी कि क्या आम तौर पर जो तलाक की दरख्वास्तें आती हैं, वे 50 साल की उम्र के बाद ज्यादातर पुरुषों की तरफ से आती हैं और छोटी ऊमर में लड़कियों की तरफ से आती हैं, लेकिन मेरा अनुभव तो यही है। कई बार बड़ा अजीब सा लगता है—एक मामला मेरी नालिज में आया—सेल्ज टैक्स में डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने चाहा कि उन की पुरानी शादी से उन का अलगाव हो जाये। कोर्ट में केस चल रहा है, केस के चलते चलते तंग आ गए, इस बीच में उन्होंने शादी कर ली, अभी कोर्ट में क्या फैसला होगा, पता नहीं। डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली और दूसरे आइ० ए० एस० अफसर उन पर टूट पड़े, वह बेचारा क्या करे। वह कहने को तैयार है—अगर अदालत मेरे खिलाफ फैसला करती है तो जो सजा होगी मैं भुगतूंगा, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं उससे वंचित करने की बात क्यों सोची जा रही है। कई बार वर्षों केस चलते रहते हैं लोग थक जाते हैं मैं तो इसे अन्याय ही समझता हूं। इस में कोई शक नहीं हैं कि जो भी फैसला हो अदालत के द्वारा होना चाहिए, लेकिन फैसला तो हो।

इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मधु लिमये जी का यह प्रस्ताव बहुत

माकूल प्रस्ताव है और मैं इस का समर्थन करता हूं। इस पर एक कमेटी बना कर विचार किया जाय और एक काम्प्रीहेन्सिव बिल लाया जाये। इसके और भी बहुत से मनोविज्ञानिक पहलू हैं, जिन पर विचार किया जाये, क्या कारण है कि लोग इस तरह से अदालतों में चले जाते हैं। हमारी सामाजिक परिस्थिति ऐसी है कि जब तक लोगों को पूरी सिक्योरिटी लाइफ में नहीं होगी तब तक इस ढंग की घटनायें घटती ही रहेंगी और जो समाज हम बनाना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में है कि समाजवादी समाज बने, उस में विवाह विच्छेद की समस्या नहीं होगी। उस वक्त बहुत कम सरकार का दखल मनुष्यों के व्यक्तिगत जीवन में होगा, उस वक्त अदालतों की जरूरत नही रहेगी। लेकिन इस बीच में जब तक कि हमारे आर्थिक स्ट्रक्चर में इस प्रकार का बड़ा मतभेद लोगों में है, सामाजिक व्यवस्था में है, यह बड़ा सीधा-सादा प्रश्न है और इस का फैसला होना चाहिए। इसके लिए समरी कोर्ट्स हों जिनमें इस किस्म के केसेज किए जायें। यदि उसमें महिलायें भी जज हों तो कोई हर्ज नहीं है; लेकिन फैसले जल्दी हों इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं सरकार गहराई के साथ विचार करके एक काम्प्रीहेन्सिव बिल लाये।

श्री मूल चन्द डागा (पाली): सभापति जी, विवाह केवल शारीरिक संबंध नहीं है, आत्मिक सम्बन्ध भी है। (व्यवधान) धार्मिक भी उसी में आ जाता है। ला कमीशन आफ इंडिया ने जो अपनी 59वीं रिपोर्ट पेश की है उसमें डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो वर्ड्स हैं उनकी याद मैं आपको दिलाना चाहता हूं :

"In adopting these four legislative measures, Parliament has acted upon the principle formulated by Dr. Radhakrishnan that "to survive, we need a revolution in our thoughts and outlook". From the alter of the past we should take the living fire and not the dead ashes. Let us remember the past, be alive to the present, and create the future with courage in our hearts and faith in ourselves."

डा० राधाकृष्णन ने यह बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है :

"The structure of any society, which wants to be strong, homogenous and progressive, must, no doubt, be steady but not static; stable but not stationary; and that is exactly the picture we get if we study the development of Hindu law carefully before the British rule began in India."

अब जैसे आप मंत्री पद पर है, यह बिल ऐसे ही निकल जाये, आप इसको नजरन्दाज कर दें तो इसका दोष कौन लेगा ? मैंने इसमें अमेन्डमेंट दिया है कि जुडीशियल सेपरेशन डिक्री होते दे दिया जाये। मधु लिमये जी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है, 6 महीने का क्या मतलब होता है ?

श्री मधु लिमये : आप हमारी बात नहीं मानेंगे लेकिन मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने 20–25 मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए हैं। जजेज ने ह्यूमन एप्रोच की कोशिश की लेकिन प्रेम अगर एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ता नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपस में मन-मुटाव हो जाता है तो फिर उसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हिन्दू ला में अमेन्डमेंट करने के लिए ला कमीशन ने खुद लिखा है। उन्होंने कहा है कि एक साल का समय क्यों दिया जाये।

दूसरी बात यह भी है कि अगर कंजुगल राइट्स डिक्री भी हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाये ? सिपाही को बिठाकर लड़की को बुलाया जाता है और वह कहती है कि मैं नहीं आ सकती तो फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है। प्रसाद दो साल की

डिक्री हुई है कि आप साथ-साथ रहें और लड़की कहती है मैं नहीं रहती तो डिक्री की क्या वैल्यू है। फिर भी आप कहते हैं दो साल इन्तजार करो।

श्री टी० सोहन लाल (करोलबाग) : मैं तो बीस साल चाहता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : फिर तो मैं कहूंगा उनको अजायबघर में रखा जाये।

श्री टी० सोहन लाल: अगर समय मिला मैं आपको बताऊंगा।

श्री मूल चन्द डागा : ला कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें जो उन्होंने आब्जर्वेशन्स किए हैं जगह-जगह पर उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि क्या यह समय रखना जरूरी है ?

डिक्री होने में क्या होता है ? जब रिटिन स्टेटमेंट सबमिट करते हैं तब भी मैजिस्ट्रेट कहता है आप मत लड़िये। आप ह्यूमन एप्रोच की बात करवाते है। फिर जो डिग्री होती है वह भी दो ढाई साल के बाद होती है। इस तरह से चार साल का पीरियड हो जाता है। इसलिए मैं ने मधु लिमये जी से प्रार्थना की है। यह कानून कोई क्रांतिकारी कानून नही है बल्कि एक आवश्यक कानून है। जुडीशियल सेप्रेशन की डिक्री होने के बाद कोई एक दो इंस्टांस ही आप बतायें जिसमें वापिस मिलने को कोशिश की गई। (व्यवधान) आज जो हल स साइटी बनाना चाहते है उसमे फर्क है। आज के समाज में लड़की भी अपने फर्ज को समझती है। आज समाज में जो रद्दोबदल आ गया है उसको देखते हुए यह टाइम मुकर्रर करना कि दो साल का पीरियड जुडीशियल सेपेरेशन का रहे, मेरी राय में यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने जो अमेन्डमेंट दिया है कि बिलकुल समय न रखा जाये उसको आप एक्सेप्ट करें।

श्री टी० सोहन लाल (करोलबाग) : सभापति जी, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और जो अभी मौजूदा कानून है उसको सपोर्ट करूंगा। यह दो साल का जो पीरियड रखा गया है, मेरे कई दोस्त नहीं समझते कि यह दो साल का पीरियड क्यों रखा गया है। दो साल का पीरियड इसलिए रखा गया है कि दोनों में जो झगड़ा हुआ है, हो सकता है उसका निपटारा हो जाये। कई सम्बन्धी और दोस्त लोग उसमें मदद पहुंचा सकते हैं। कई मामले ऐसे हुए हैं तभी मैं यह बात कह रहा हूं। आज दुनिया में प्रैक्टीकली बात को नहीं सोचा जाता। यह कोई अनुभव वाली बात भी नहीं है। मैं आपको ऐसे व्यक्ति बतला सकता हूं जिन्होंने लव मैरिज की है लेकिन बाद में रोते है। अगर वास्तव में देखा जाये तो जो पुरानी परम्परा है उसको कुछ नया रूप लेना चाहिए लेकिन जैसा लोग कहते हैं बाल विवाह होते थे परन्तु मैं कहता हूं वह बाल विवाह आज के विवाहों से अच्छे है। (व्यवधान) अगर मेरे से पूछा जाये तो वह खानदान का लिहाज, वह परम्परायें और वह शर्म सब अच्छी बातें हैं। लेकिन आप पश्चिमी सभ्यता पर चलना चाहते है। पश्चिमी सभ्यता में जो बुराइयां हैं उनको लेते है लेकिन हमारे यहां जो सभ्यता है, जो अकलमन्दी है उसको नहीं लेना चाहते। पश्चिमी देशों में अगर देखा जाये तो जिसको कन्या कहते है वह हमारे यहा 12 साल के बाद नही रहती और वहां पर 18 साल के बाद नहीं रहती। दोनों जगह इतना अन्तर है। हमारे देश की जलवायु गर्म है, यहां पर 12 साल की लड़की रजस्वला हो जाती है लेकिन पश्चिमी देशों में 18 साल को लड़की रजस्वला होती है क्योंकि वहां की जलवायु ठंडी है। आप उस चीज को लेते नहीं हैं और कहते हैं कि हमारे यहां की कुछ एजूकेशन एसी है। मैं यह मानता हूं कि कुछ नयापन आना चाहिए मगर नयेपन का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल ही हम अपनी सभ्यता को भूल जाएं। अगर सभ्यता को भूलते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा

हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से यह भी लाना चाहिये कि जो कास्ट्स में शादी होती हैं, उन को तोड़ देना चाहिए। आप इस को क्यों नहीं सोचते। आज तो यह है कि अगर ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण के यहां शादी होगी और वह दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकता। आप लाएंगे वह चीज ? नहीं लाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप ने जो दो साल वाली बात इस बिल में कही है, वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यह 5 साल होना चाहिए ताकि आसानी से वह कोर्ट में न जाए। उन को यह पता होना चाहिए कि इतनी लम्बी अवधि होगी तो परेशानी होगी, इसलिए अच्छा यह हो कि झगड़ा ही न हो।....... (व्यवधान)....अगर आप समय कम रखते हैं तो इस में यह होगा कि शादी कर के ले आए और मन में पसन्द नहीं आई बीवी, तो कल को उस को छोड़ दिया। इसलिए समय कम करने से इस तरह के कैसेज बहुत ज्यादा होंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : जहां तक विच्छेद का कानून है, उस में कोई संशोधन नहीं ला रहे है और यह हरगिज नहीं चाहते कि आज शादी कर के लाए और आप की तबियत नहीं आई, तो कल बीवी को निकाल दिया। इस में आप एक बात को समझ लीजिए कि जब यह बात निश्चित हो जाए कि जूडीशियल सेपरेशन की डिक्री हो जाती है और यह निश्चित हो जाता हैं कि अलग हो चुके हैं, डाइवोर्स की डिक्री हो जाती है, उस के बाद दोनों को जुदा रखने की कोई वजह है क्या ?

श्री टी० सोहन लाल : दो साल का टाइम ही इसलिए रखा है कि दोनों को सोचने का टाइम मिल जाए। आप यह देखें कि तलाक के लिए ज्यादातर आदमी ही आते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : बिल्कुल गलत श्री मधु लिमये जी के पास इस के आंकड़े हैं।

श्री टी० सोहन लाल : आप आंकड़े देख लीजिए। 95 फीसदी लोग जाते हैं स्त्रियां नहीं जाती हैं। आज बेचारी स्त्री चाहे जितनी दुःखी हो, वह तलाक नहीं लेती है।

श्री मूल चन्द डागा : औरत के लिए इन्होंने 'बेचारी' शब्द का प्रयोग किया है, इस को हटा दिया जाए। यह शब्द ठीक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: He is expressing a view with which you may not be in agreement, but you permit him to express his views.

श्री टी० सोहन लाल : हमारे यहां स्त्री को गऊ माना गया है।

श्री मूल चन्द डागा : स्त्री को पशु भी माना है, यह क्या बात आप करते हैं।

श्री टी० सोहनलाल : चलिये, बराबर का साथी माना गया है।

मैं यह कहूंगा कि यह जो दो साल का पीरियड रखा गया है, इसमें भी कुछ भेद है और इसके होने से हरेक आदमी कोर्ट में नहीं जाएगा। यह बात स्त्रियों के लिए कह सकते हैं, लड़कियों के लिए कह सकते हैं लेकिन यह बात भी सही है कि कुछ स्त्रियां ऐसी हो सकती हैं जो यह कहें कि मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे मां-बाप ने नहीं की है और वे कोर्ट में जा सकती हैं। अगर दो साल से कम पीरियड आप रखते हैं तो ज्यादा कैसेज कोर्ट में जाएंगे। इसलिए दो साल का जो पीरियड रखा हुआ है, वह ठीक है और मैं तो कहूंगा इतना पीरियड होने से बहुत कम लोग शादी-बन्धन को तोड़ते हैं।

श्री वसंत साठे : आप वकील हैं ?

श्री टी० सोहन लाल : अगर वकील होता, तो आप की बात कहता । वकीलों को तो ज्यादा केस चाहिएं । अगर बीच वाला पीरियड ज्यादा न हुआ, तो ज्यादा केस आएंगे और उतना ज्यादा नामा बनेगा । इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं । आप अपने मतलब से इस का सपोर्ट कर रहे हैं ।

श्री बसंत साठे : माफ कीजिए, मैं इन्ट्रप्ट कर रहा हूं । आप ने केस को समझा ही नहीं । जब विवाह-विच्छेद की डिक्री हो जाए, उस के बाद छः महीने रखने की बात इस बिल में कही गई है । जब केस चलता रहे तो इन दो, तीन सालों में वे आपस में तय कर लें कि इकट्ठा रहेंगे या नहीं रहेंगे । तब तो कह दिया कि इकट्ठा नहीं रहेंगे, आपस में लड़ लिये और डिक्री ले ली । अब डिक्री लेने के बाद जबर्दस्ती दो साल तक वेट करने की नीति कहां तक सही है ?

श्री टी० सोहन लाल : मैं आप को बताऊं कि मैंने कई ऐसे मामले देखें हैं जिन के अन्दर तलाक हो चुका था और दो साल का टाइम जो रखा गया है, उस के अन्दर कुछ ऐसी बात हुई कि वे फिर आपस मे मिल गये । ऐसे केस दिल्ली में हुए है । उन के जो बच्चे थे वे बीच में आ कर कड़ी बने और वे दोनों फिर वापस आ गये ।

श्री बसंत साठे : डाइवोर्स की डिक्री के बाद वे कैसे आ गये ।

श्री टी० सोहन लाल : बिल्कुल आ गये ।

श्री बसंत साठे : जूडिशियल सेपरेशन के बाद ।

श्री टी० सोहन लाल : जी हां । पति-पत्नी गुस्से में आ कर कोर्ट में चले गये और डिक्री ले ली, और फिर बाद में वे मिल गये । वे दिल्ली के केस हैं और मैं इन के बारे में जानता हूं । 60, 65 वर्ष की उम्र की उम्र की । आप कहते हैं कि यह हो नहीं सकता । अगर दो साल का पीरियड न रखा जाए, तो वे फिर से शादी कर लेंगे और शादी कर लेने के बाद वे फिर एक साथ नहीं आएंगे । दो साल में फिर से एक होने का जो मौका मिलता है, वह नहीं मिलेगा । अगर पीरियड कम होगा, तो दूसरे दिन ही वे शादी कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर तलाक वाले जो होते हैं वे वही लोग होते हैं जो पहले कहीं दूसरी जगह अपनी आंख लड़ाए बैठे रहते हैं । यह बिल्कुल सही बात मैं आप को बता रहा हू वरना जिस के घर में अपनी स्त्री है, वह अपनी स्त्री पर ही सब्र करता है और कभी तलाक वाली बात नही करेगा । इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और जो दो साल का पीरियड इस समय है, वही ठीक है ।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : यह जो मधु लिमये जी द्वारा बिल लाया गया है, मैं इस का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि यह जो छः महीने का समय रखा गया है, यह क्यों रखा गया है । मैं कोर्ट में प्रेक्टिस करता हूं और मैंने यह देखा है कि जब कभी डाइवोर्स की डिक्री हो जाती हैं, तो स्त्री दो-दो साल तक इधर उधर मारी फिरती है क्योंकि मेंटिनेन्स का राइट नहीं रहता है । इस पीरियड में वह अपने बच्चे को कैसे संभाले । इसलिए अगर काम्प्रीहैंसिव बिल लाया गया होता, तो बड़ा अच्छा होता । इस बिल के अन्दर यह बात भी होती : "for six months—the time is given—she should be provided with some maintenance." तो अच्छा होता । इस प्रकार का बिल होना चाहिए था । बाकी जो बिल रखा गया है, वह बिल अच्छा है और इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इस का समर्थन कर रहा हूं ।

इस बिल के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो छः महीने का पीरियड है, उस में आप स्त्री के मेन्टीनेंस के लिए क्या करेंगें। उस के पास खाने पीने को कुछ नहीं है और उस के पास एक छोटा बच्चा है। इसलिए एक काम्प्रीहेंसिव बिल होना चाहिए था और उस में यह होना चाहिए था :

"For six months, the husband or other persons should make some provision for maintenance."

इस प्रकार का प्रोवीजन होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास किया जाए।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : चैयरमैन साहब, यह जो एमेंडमेट मधु लिमये जी लाए हैं, यह एक लिहाज़ से ठीक ही है क्योंकि हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 जो है वह आज कल के लिहाज से थोड़ा पुराना हो चुका है और वह डिफेक्टिव हो गया है। शादियां जो होती हैं वे हमारे यहां जो रस्में हैं उन के लिहाज से होती हैं और हिन्दूओं की अपने लिहाज से होती है, सिक्खों की अपने लिहाज से होती है और सिविल मैरिज कोर्ट में जा कर होती हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : सिक्खों के यहां मैरिज किस लिहाज से होती हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : सब के ढंग अलग-अलग हैं। हम शादी गुरू ग्रन्थ साहब के सामने करते हैं और आप आग के सामने करते हैं।

जहां तक डिक्री के बाद के टाइम का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस में टाइम का सवाल ही क्या है। जब सम्बन्ध टूट गया, तो मामला खत्म ही गया, मगर एक बात का ख्याल आप को रखना चाहिए। यहां पर बहुत से वकील साहबान बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप अमेरिका की तरफ देखिये। आप ने किताबों में पढ़ा होगा कि अमेरिका में शादियां और तलाक बहुत जल्दी-जल्दी होते हैं और योरोपियन कन्ट्रीज की बात भी यही है। पिछली दफा एक मैगजीन में निकला था कि एक औरत है जिस की उम्र 40 साल की है और उस का वह 15 वां, 16 वां या 20 वां तलाक था। इसलिए यह जो डाइवोर्स की बात है, इस के बारे में गवर्नमेंट को बहुत समझ-बूझ कर कानून लाना चाहिए और जैसा कि और माननीय सदस्यों ने भी कहा है, एक काम्प्रीहेंसिव बिल इस सम्बन्ध में आना चाहिए। आज यह एमेंडमेंट लाए हैं, कल को और लानी पड़ेगी। डाइवोर्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन डिक्री के बाद जो समय है उसको रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस में तो कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिये। मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट इस बिल को लाती और साथ-साथ और भी उसको चाहिये कि एमेंडमेंट् वह लाएं। ऐसा उसने किया तो बहुत अच्छा होगा।

श्री मती सावित्री श्याम (आंवला) : लिमये जी का यह जो छोटा सा सुझाव है यह बहुत ही प्रगतिशील सुझाव है। इस सुझाव को देख कर बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई है। सभी माननीय सदस्यों ने इस कदम का स्वागत किया है सिवाय एक दिल्ली के मैम्बर के। इस में संदेह नहीं है कि समाज के एक वर्ग पर ही वह चीज लागू होती है। सभी के लिए यह कानून नहीं है। विवाह एक सेक्रेड कंसेप्ट है, एक पवित्र संस्कार है। इस संस्कार में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा रखी है। सदियों से स्त्री इस श्रृंखला की कड़ी के रूप में खड़ी आपको नजर आएगी। गुलामी की जंजीरों के बंधनों में वह जकड़ी हुई है। जन्म से लेकर होश सम्भालने तक और जब कभी उसके विवाह की बात होती है घर वालों की तरफ से तो उसको यही शिक्षा दी जाती है कि तू उस घर से तभी निकलना जब तेरी — मृत्यु ही

जाए, तेरी अर्थी ही वहां से निकले। इतनी अबला, इतनी तुच्छ और इतनी छोटी उसको बना दिया जाता है। उसके अन्दर सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है।

विवाह एक पवित्र संस्कार है। इस कमेटी का एक मैम्बर होने के नाते मुझे बहुत कुछ देखने को मिला है विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में। मैं इन दो प्रान्तों की बात इसलिए कह रही हूं कि उनके हमने उदाहरण पेश किए हैं। महिलाएं कसकती हैं, कराहती हैं, हृदय में दुखी होती है और ये भाव उसके चेहरे से साफ झलकते हैं साफ पता चलता है कि कितनी आत्मिक पीड़ा इसको है लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती है। इस प्रगतिशील युग में जबकि आर्यभट्ट दुनिया के चक्कर लगा रहा हो वहां हम उसी पुराने संस्कार पर अड़े रहें कि विवाह एक पवित्र चीज है और वह बंधन जिन्दगी भर नहीं टूट सकता है, इस जिन्दगी में तो क्या मृत्यु के उपरान्त भी टूटने वाला नहीं है और ऐसे प्रगतिशील कदम को न उठाएं तो यह न्यायोचित बात नहीं है, न महिलाओं के साथ न्याय करना और न पुरुषों के साथ न्याय करना होगा।

यह ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात की घोषणा कर दी है कि दुनिया की महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिलने चाहिएं, उनके साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर न्याय होना चाहिए। हिन्दुस्तान ने भी आवाज उठाई है कि स्त्रियां जो दबी रही हैं, जिन को अबला बनाया गया है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। स्त्रियां वेद पढ़ा करती थीं। पटना हाई कोर्ट ने शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं को वेद पढ़ने से मना कर दिया। सवर्णों के लिए उसने कुछ नहीं किया। वेद पढ़ने तक उन पर रोक लगा दी गई, उपनिषद नहीं पढ़ सकती हैं, आप देखें कि जब आवश्यकता पड़ती है पुरुषों को लक्ष्मी की, धन की तो वे लक्ष्मी के रूप में स्त्री की पूजा करते हैं, जब जरूरत पड़ती है विद्या की तो सरस्वती के रूप में उसकी पूजा करते हैं और जब शक्ति की जरूरत होती है तो देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। हर रूप में स्त्री की पूजा करते हैं। अन्नपूर्णा मान कर उसकी पूजा की जाती है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जितना शोषण स्त्रियों का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ है। आज उन में शिक्षा कुछ बढ़ रही है। वह अपने पांवों पर खड़ी हो रही है और आगे बढ़ रही है। पुरुष समाज में इतनी पशु वृत्ति आज बढ़ गई है कि इसके वशीभूत हो कर उसने जानबूझ कर उसको वेश्या बनाना शुरू कर दिया है। पुरुषों की इस वृत्ति के कारण ही उसको मजबूर हो कर वैश्या बनना पड़ता है और वैश्या वृत्ति बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे खुशी है कि पुरुष समाज इस प्रकार के प्रगतिशील कदम उठाने के लिए तत्पर हो रहा है। जैसे डागा जी ने कहा था कि प्रेम का बंधन एक बार अगर टूट गया तो वह दुबारा नहीं जुड़ सकता है, उस में गांठ पड़ जाती है। यह कच्चे धागे के समान होता है, एक बार टूट जाए तो गांठ पड़ जाती है लेकिन जुड़ता नहीं है। अगर स्त्री और पुरुष साथ-साथ नहीं रह सकते, जीवन नहीं बीता सकते और सैपेरेशन लेना चाहते हैं तो मैं महिषी जी से निवेदन करूंगी कि वह भी एक महिला हैं, उनका विवाह नहीं हुआ है लेकिन महिलाओं की कठिनाइयों को वह भली प्रकार समझती हैं, उनके दुखों का एहसास उनको है, कि वह ही एक बिल हाउस में लाएं और जो बहुत बड़े गैप्स हैं कि शादी के तीन बरस तक स्त्री या पुरुष कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, उसके बाद चार छः साल तक मुकदमा चलने के बाद जब उनको ज्यूडिशल सैपेरेशन मिल भी जाता है तो दो बरस तक फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा, इन अवधियों को वह हटाएं। यह जो बाद की अवधि है इस को मेल कराने की रिक्वेस्ट, कोशिश करेंगे, जब कोशिश करेंगे तब जो

दूसरा करेगा इससे बहुत सा जिन्दगी का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाएगा इस वास्ते मानवता की दृष्टि से भी आप विचार करें तो आप इसकी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सैपेरेशन का रिजल्ट यह होना चाहिए कि डिक्री हो जाने के बाद कोई और समय देने की आवश्यकता नहीं है। इस वास्ते यह जो कंसेप्ट है, यह जो उसूल है इसको वह स्वीकार करें और अपनी ओर से कोई दूसरा बिल इस सदन में लाएं। हमारी समिति ने जो रिपोर्ट दी है और उस में जो सिफारिशें हैं उनको भी वह ध्यान से देखें और जो-जो सिफारिशें समझती हैं कि अच्छी हैं उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करें।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी):** हिन्दू विवाह कानून में संशोधन करने के लिए जो बिल लिमये जी लाए हैं उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं यह भी नहीं कहती हूं की हर सदस्य को निजी अनुभव के आधार पर ही बात कहने का अधिकार है। आयु बहुत छोटी होती है लेकिन अनुभव बहुत लम्बे होते हैं। हर चीज का अनुभव हर किसी को प्राप्त हो यह नहीं हो सकता है। हर कोई अपने विवेक से, बुद्धि से, सोच विचार करके औरों के लिए भी मन बना कर आगे बढ़ता है। कानून क्या चीज है। कई सालों के अनुभव और अनुभूतियों को नियमों के अधीन जो रखा जाता है, वही कानून है। कानून कोई दूसरी चीज नहीं है। crystalised commonsense of the people for ages together.

**MR. CHAIRMAN:** Codified

**SHRI N. K. P. SALVE:** Organised.

**डा० सरोजिनी महिषी:** इसलिए कानून में संशोधन होते रहना जनता की सुविधा के लिए या समाज की सुविधा के लिए बुरा नहीं है। लेकिन बार-बार नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिलकुल भी न हो। सुविधा के लिए कानून में परिवर्तन होना अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दु विवाह विधेयक में जो संशोधन लाने वाला विधेयक रखा गया है और जो भाषण उस पर हुए हैं उन से मुझे यही लगा है कि सदन इसके बारे में बहुत जागृत है, सचेष्ट है। मेरे विचार में सदन इस बारे में बहुत जागृत और काफी सतर्क रहा है। जब हिन्दु कानून का कोडिफिकेशन हुआ, तो उस समय भी लोगों ने उस का बहुत विरोध किया था, क्योंकि पुरानी विचार-धारा से अलग होना, या उससे थोड़ा सा दूर होना, लोग अच्छा नहीं समझते थे, और वे समझते थे कि इस से काफी हानि होगी। जो परम्परागत चीज है, चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी हो, उस के साथ चलना बहुत आसान है। It requires live fish to go up the tide, any place of log can come down. जिस दिशा में लहरें चलती है, उस दिशा में चलते रहना बहुत आसान है, लेकिन लहरों क विरोध में जाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपने देखा कि जब हिन्दू कानून का कोडिफिकेशन हुआ, तो उसका काफी विरोध हुआ, लेकिन उस के बावजूद जनता की भलाई के लिए, समय की सुविधा के लिए, समय की मांग को देखते हुए, समय की गति को दृष्टि में रखते हुए, उस समय जो प्रधान मंत्री थे, उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ यह काम करवाया। इस से जनता की बहुत भलाई हुई। इसीलिए आज लोग कहते हैं कि हिन्दु कानून का कोडिफिकेशन होने से बहुत अच्छा हुआ, वर्ना बड़ा मुश्किल होती।

16.29 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the chair*]

और भी कई कानूनों में एक सैक्शन में एक बात कही जाती है और दूसरे सैक्शन में दूसरी बात कही जाती है—परिवर्तन करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं, क्योंकि यह पर्सनल कानून है। वैयक्तिक कानून में विवाह,

[डा० सरोजिनी महिषी]

विच्छेद और दत्तक इत्यादि की व्यवस्थायें होने की वजह से, और सदियों से रूढ़िगत होने की वजह से भी, कुछ लोग उस में परिवर्तन लाना अच्छा नहीं समझते हैं। कुछ लोग जरूर यह समझते हैं कि इस में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रगति चाहते हैं, और जिस को वे प्रगति कहते हैं, उस की व्याख्या भी वे लोग दे सकते हैं। जो गति है—वह गति इस दिशा में हो या उस उस दिशा में, वे यह नहीं बता सकते हैं—, वही प्रगति है।

जब अदालत के द्वारा ज्यूडिशियल सैपरेशन या रैस्टीट्यूशन आफ कंज्यूगल राइट्स के बारे में निर्णय दे दिया गया, तो उसके बाद जो दो साल की लम्बी अवधि हिन्दु कानून में रखी गई है, वह नही रहनी चाहिए, इसके बारे में श्री मधु लिमये संशोधन लाये हैं। माननीय सदस्य ने पुराने संस्कृत साहित्य की बात कही है। पूरा हिन्दू कानून संस्कृत में हैं। मनु, गौतम, याज्ञवल्क्य और बोधायन इत्यादि की स्मृतियां सब संस्कृत से हैं। इसीलिए बारबार उसका रैफरेंस देना पड़ता है।

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगांव) : विवाह, विवाह-विच्छेद और विवाह संकल्प आदि के बारे में मंत्री महोदय बड़ी विद्वता के साथ बता रही हैं। लेकिन वह यह भी बता दें कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या हाल हुआ था। विवाह की धारा वहीं से आरम्भ हुई थी। यदि मंत्री महोदया वह वृत्तान्त बता दें, तो सदन के लिए बहुत रुचिकर होगा।

डा० सरोजिनी महिषी : इस समय उस वृत्तान्त की कोई संगति नहीं है। अगर श्री पांडे जी उसको सुनने की दिलचस्पी है, तो वह किसी अच्छी जगह पर वह प्रवचन रखें।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदया ने याज्ञवल्क्य का जिक्र किया, तो मुझे इसका स्मरण आया। अगर मंत्री महोदया यह बता दे कि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी के सम्बन्ध कैसे थे, तो अच्छा है, क्योंकि विवाह की धारा वहीं से शुरू हुई।

सभापति महोदय : क्या यह जानकारी इस बिल के लिए आवश्यक है?

श्री राम सहाय पांडे : मैं अपनी भ्रान्ति दूर करना चाहता हूं।

डा० सरोजिनी महिषी : श्री पांडे ने उसको किस ढंग से समझा है, यह मेरी समझ में नहीं आया। भ्रान्ति को दूर करने का न यह स्थान है और न ही इस समय इसका औचित्य है। उनको भ्रान्ति है भी या नहीं, मुझे यह भी पता नहीं है।

विवाह के साथ-साथ विच्छेद की बात उस समय भी थी। लेकिन इस समय उसके सुसंस्कृत वर्शन, रिवाइज्ड वर्शन, को भी हम हिन्दू कानून मे देखते हैं। इस विषय से सम्बन्धित धाराएं 13 और 15 है। उनके बीच में धारा 14 भी है, लेकिन श्री मधु लिमये के बिल में उसका रैफरेंस नही है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने उसके बारे मे एक अमेंडमैंट दिया है। किन्तु ओरिजनल बिल में वह न होने की वजह से उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। हिन्दू कानून में विवाह एक संस्कार है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : कन्यादान क्या है? कन्या को दान करते हैं जानवर की तरह।

डा० सरोजिनी महिषीः इस विषय में कई विचारधाराएं हैं और कई क्रांतिकारी विचार आ चुके हैं। विवाह का रजिस्ट्रेशन भी एक क्रांतिकारी विचार है। जो पुरानी बुनियाद थी, उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लाया गया जो कि उस वक्त क्रांतिकारी लगता था। आज भी हिन्दू कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना ओप्शनल रखा गया है। हरेक स्टेट को इसके बारे में कानून बनाकर उसको कंपलसरी बनाने का अधिकार है, लेकिन आपने देखा है कि अभी तक किसी

राज्य सरकार ने उसको कम्पलसरी नहीं बनाया है। अगर वह कम्पलसरी बन भी जाता है, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की मशीनरी से ही काम लेना पड़ता है। यह सारा लैजिस्लेशन जनता के सहयोग पर अवलम्बित रहता है। राज्य सरकारों ने अभी तक इसको कम्पलसरी क्यों नहीं किया, इसके बारे में माननीय सदस्यों को सोचना चाहिए। अगर केन्द्रीय सरकार को करना है, तो वह यूनियन टैरीटरीज के लिए कर सकती है, वह सारे भारत के लिए भी कर सकती है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों की मशीनरी को ही इस्तेमाल करना पड़ता है।

सभापति महोदय : इसको कार्यान्वित करने में क्या दिक्कत है ? इस बिल में ऐसा कोई सवाल नहीं है ।

श्री मधु लिमये : इस विधेयक के बारे में कुछ अन्य प्रश्न भी उठाये गये हैं । मंत्री महोदया उनका जवाब दे रही हैं। रजिस्ट्रेशन आफ़ मेरिजेस, बिगैमी और पौलीगैमी, ये सब विषय इससे जुड़े हुए हैं । बिगैमी और पौलीगेमी डाइवोर्स के ग्राउन्ड होते हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : श्री मधु लिमये ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक दुर्बलता आदि कई विषयों का जिक्र किया है। देहात में गोबर गैस प्लान्ट भी नहीं हैं। इसलिये महिलाओं को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि महिलाओं की सारी शक्ति उसमें खर्च हो जाती है और दूसरी तरफ़ सोचने के लिये, दूसरे कामों में अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के लिये उनको समय और मौका नहीं मिलता है। माननीय सदस्य का मतलब यहीं था कि महिलाओं का सारा समय खाना बनाने और घर की देखभाल करने में निकल जाता है। उनका मूल आशय यही है कि महिलाओं की सारी शक्ति खाना बनाने आदि में खर्च नहीं होनी चाहिये।

उन्होंने यह भी कहा कि कई स्थानों पर महिलाओं को पीने का पानी भी दूर से लाना पड़ता है, वगैरह, वगैरह। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं को, जो कि लम्बे अर्से से चली आ रही हैं, दूर करने के लिये, और उनको भारतीय नागरिक के तौर पर जो स्वतन्त्रता मिली है, उसको पूरे ढंग से इस्तेमाल करने के लिये, उनको जो अवकाश और मौका मिलना चाहिये, वह उनको नहीं मिलता है।

हम सब इस बात से सहमत हैं, लेकिन इसको कैसे करना है, इसके बारे में सब लोगों को मिलकर सोचना है। जनता में जो रूढ़ियां आई हैं उनको हटाने के लिये क्या कोशिश करनी चाहिये ? किन्तु हम उनको एक दिन में नहीं हटा सकते हैं। कानून से उनको कैसे हटायेंगे ? जनता को साथ लेकर उन अनिष्ट रूढ़ियों और कुरीतियों को हटाना पड़ता है। उसके लिये कोशिश की जाती है, लेकिन वह कोशिश काफ़ी नहीं है ।

विवाह और विच्छेद के बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृति में कई बातें दी गई थीं :

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ,
पंचसु आपत्सु स्त्राणां तिरन्यो विधीयते ।

श्री मधु लिमये : अभी तक हमारे एक्ट में यही ग्राउन्ड्स हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : लेकिन कई ग्राउन्ड्स उसमें शामिल की जा सकती हैं, क्योंकि समाज का चित्र बदल चुका है, समाज में कई मूल्यों का परिवर्तन हो चुका है। इसलिये उसमें कई और ग्राउन्ड्ज़ को जोड़ा जा सकता है ।

माननीय सदस्य जो बिल लाये हैं, उसका आशय यह है कि अदालत के निर्णय के बाद जो दो साल का समय रखा गया है उसको घटा कर 6 महीने रखना चाहिये, क्योंकि जब पति और पत्नी में संघर्ष, मतभेद और विरसता होती है,तो उनके साथ आने का कोई

[डा० सरोजिनी महिषी]

मौका नहीं होता है, इसलिये इतनी लम्बी अवधि रखने की क्या जरूरत है ?

ला-कमीशन ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि इस अवधि को दो साल से घटा कर एक साल किया जा सकता है, इसमें 50 प्रतिशत की कमी की जा सकती है, क्योंकि फ़िर भी यह आशा की जा सकती है कि वे साथ आ जायें और फ़िर पति-पत्नी के रूप में सम्बन्ध रखें ।

श्री मधु लिमये का कहना है कि धारा 15 में कहा गया है कि डाइवोर्स के बाद पुनर्विवाह के लिये जो एक साल क अवधि रखी गई है, उसको कम करके 3 महीने कर दिया जाये । लेकिन ला-कमीशन ने सुझाव दिया है कि कोई समय रखने की जरूरत नहीं है । गवर्नमेंट इसके बारे में विचार कर रही है । ला-कमीशन को इन मामलों पर विचार और अध्ययन करने के लिये कहा गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है ।

श्री मधु लिमये : हर बात में, सोशल मामलों में भी, ला-कमीशन को बीच में क्यों लाया जाता है? अगर सरकार किसी को वज़न देना चाहती है, तो वह इस कमेटी को देगी, या ला-कमीशन को देगी ? मैं कमेटी के सुझावों को ज्यादा महत्व दूंगा । ला-कमीशन में सब कंज़रवेटिव लोग भरे हुए हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ला-कमीशन भी इस बात को तो मानता है न कि जुडीशियल सैपरेशन के बाद जो दो साल का समय दिया हुआ है, वह समय ज्यादा है । माननीय सदस्य 6 महीने का सुझाव दे रहे हैं जबकि ला-कमीशन साल भर की बात कह रहा है । क्या मंत्री महोदया यह बता सकती हैं कि 6 महीने और एक साल में राशनेल क्या है ? जहां तक डाइवोर्स का सम्बन्ध है, ला-कमीशन का कहना है कि उसके बाद कोई समय नहीं रखना चाहिये । श्री मधु लिमये उसको मानने के लिये तैयार हैं । जब सिद्धान्त को माना जा चुका है और कमीशन की रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट इतने दिनों से सरकार के सामने है, तब इस बात का क्या औचित्य है कि इस प्रश्न को यह कह कर आगे धकेल दिया जाये कि यह विचाराधीन है ?

सभापति महोदय : अभी मंत्री महोदया अपने भाषण में ऑपरेटिव पोर्शन पर नहीं आई हैं । वह अभी सरकार की राय देंगी ।

डा० सरोजिनी महिषी : मैं ला-कमीशन की राय बता रही हूं । सरकार की राय भी मैं अभी बताती हूं । यह मामला ला-कमीशन के सुपुर्द किया गया और उसने अध्ययन करके अपनी राय दे दी ।

माननीय सदस्यों ने भी जो राय दी है, सरकार उस पर भी सोचती है । विभिन्न लोग इस बारे में जो विचार व्यक्त करते हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए, किस किस्म का परिवर्तन करना चाहिये, इसके बारे में हमेशा सोचा जाता है । ला-कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर पूरी तरह से सोच कर एक बिल जल्दी से जल्दी यहां पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं । ला-कमीशन के सुझाव माननीय सदस्यों के सामने है । लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिस रूप में उसने सुझाव दिया है, उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिये । लेकिन उसका सार इस सदन और सरकार के सामने है । सरकार उसके बारे में सोच-विचार करके, परामर्श करके, कोई निर्णय लेगी और बाद में इस सदन के सामने रखेगी । वह बिल इस सदन के सामने पेश किया जायेगा ।

श्री मूल चन्द डागा : सरकार की क्या मंशा है ?

सभापति महोदय : सरकार की मंशा बिल में आ जायेगी ।

श्री मूल चन्द डागा : श्री गोखले ने ला-कमीशन को जो लैटर एड्रैस किया,

उसमें लिखा था कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को दिया जाये । उसको आज डेढ़ साल हो चुके हैं। अगर सरकार डेढ़ साल तक बैठी रहे और इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में भी बिल लेकर न आये तो यह उचित नहीं है। मंत्री महोदया हमारी बातों की तारीफ करती हैं और अन्त में कहती हैं कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है। हमने कहा है कि समय को कम किया जाये। मंत्री महोदया बतायें कि क्या सरकार इस सुझाव को मान रही है ?

**डा० सरोजिनी महिषी** : मैंने तीन बातें कही हैं : परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन के बारे में ला-कमीशन की राय भी हमसे सहमत है और सरकार उसके बारे में विचार करके जल्दी से जल्दी एक विधेयक लाने की कोशिश कर रही है ।

**सभापति महोदय** : क्या मंत्री महोदया "जल्दी से जल्दी" की कोई समय मर्यातदा दे सकती हैं ?

**डा० सरोजिनी महिषी** : आपको मालूम है है कि जल्दी-से-जल्दी की व्याख्या किसी डेट के रूप में देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन माननीय सदस्यों और सरकार का उद्देश्य एक ही है ।

**सभापति महोदय** : क्या वह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में आयेगा ?

**डा० सरोजिनी महिषी** : जरूर आ जायेगा ।

**श्री राम सहाय पांडे** : जो माननीय सदस्य—श्री डागा, श्री साल्वे आदि—इतने उतावले हो रहे हैं, क्या उनका मन साफ है ? क्या दाल में कुछ काला तो नहीं है ।

**डा० सरोजिनी महिषी** : यह विधेयक केवल महिलाओं से सम्बन्धित नहीं है, ऐसा नहीं है। यह पूरे समाज से सम्बन्धित है। यह विधेयक सामाजिक कानून में परिवर्तन लाने के लिये और पूरे समाज की भलाई के लिये है। इसको जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास किया जायेगा ।

इसलिये माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वह अपने संशोधन विधेयक को वापस ले लें। जो दूसरे अमेंडमेंट पेश किये गये हैं, सरकार का इरादा उनको भी स्वीकार करने का नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य उनको भी वापिस ले लें ।

**श्री मूल चन्द डागा** : मंत्री महोदया ने 6 महीने और एक साल के बारे में कोई रीजन्स नहीं बताय हैं। उसके लिये रीजन्स क्या हैं ?

**सभापति महोदय** : वह बिल में बतायेंगी ।

**श्री मधु लिमये** (बांका) : सभापति महोदय, सब से पहले मै सोमनाथ चटर्जी के संशोधन के बारे में कहूंगा । उन्होंने धारा 14 में संशोधन दिया है, जिसमें यह कहा गया है :

"Notwithstanding anything contained in this Act it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce unless at the date of presentation of the petition 3 years have elapsed since the date of marriage."

माननीय सदस्य अपने संशोधन के द्वारा यह चाहते हैं कि 3 वर्ष की जगह 1 वर्ष रखा जाये। मैं ने उसको इसमें इसलिये शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैं भी यह नहीं चाहता हूं कि लोग शादी होते ही विच्छेद की चर्चा शुरू कर दें। यह मैं मानता हूं कि कोशिश यह की जाय कि अगर कुछ विवाद हुआ है, झगड़ा हो गया है तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाये। इसलिए यह जो तीन साल की ऐबसोल्यूट लिमिट है उस के लिए मैंने इसमें स्पर्श तक नहीं किया है ।

एक माननीय सदस्य : करना चाहिये था।

श्री मधु लिमये : नहीं, इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि तीन साल की यह जो मियाद है उस को तो मैंने हाथ नहीं लगाया है।

एक माननीय सदस्य : आपकी दृष्टि में तीन साल अधिक नहीं हैं ?

श्री मधु लिमये : है, लेकिन तीन साल तक प्रयास करके समझौता हो सकता है। इसलिये इसको तो मैंने छुआ तक नहीं । लेकिन बाकी जो मेरा सुझाव है कि जूडीशियल सेपरेशन के बाद दो साल की जगह पर 6 महीने कर दिया जाये, अब जूडीशियल सेपरेशन के लिए ही नियम है, उसके लिए एक ग्राउन्ड यह दिया है :

"Deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years immediately preceding the presentation of the petition."

यानी दो साल तो है ही । इसलिए उसके और दो साल और फिर डाइवोर्स और फिर एक साल, पूरी योजना को देखना चाहिए । जब तीन साल की एक मर्यादा है ही तो उस सीमा के अन्दर इस अवधि को घटाने से कोई नुकसान नहीं होता है और एक साल वाला जो मामला है यह कितना तकलीफदेह है इसका एक उदाहरण मुझको मिला है। यह बहुत ही एक प्रोजेक्टेड केस है और चूंकि अदालतों के निर्णय साफ नहीं हैं इसलिए क्या नतीजा हो रहा है, यह आप देखिए । उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहता । उसका एक केस आया, उस में इस तरह इश्यूज फ्रेम किए गए :

"(1) Whether the marriage of the parties is void ab initio in view of the proviso to Section 15 of the Hindu marriage Act, 1955?

(2) What is the effect of the respondent having disclosed to the petitioner and her parents the factum of the said decree of divorce before the parties entered into marriage with each other.

उस के ऊपर जज कहता है :

(3) According to the admitted facts of the parties, the respondent was previously married to X against whom he obtained a decree of divorce on 28th May, 1970 in Matrimonial Case No. 46 of 1970 from the Court of....

In view of the proviso to Section 15 of the Act, the marriage of the parties having taken place before the lapse of one year from the date of the decree of divorce is not lawful and must be held void *ab initio*.

It has been held in (1968 Allahabad) that remarriage in contravention of proviso to Section 15 is void *ab initio*.

अब उसका नतीजा क्या है ? उन्होंने कहा कि एक साल नहीं हुआ है यह मैंने बीवी को और उसके रिश्तेदारों को बता दिया था, तो भी जज कहता है :

"Parties could not contract themselves out of mandatory legal provisions of law contained in the proviso to Section 15 the Act and consequently, disclosure as alleged is meaningless and has no effect on the illegality of the marriage of the party."

उसके बाद क्या हुआ ? फिर एलिमनी वाला मामला आया । यह बहुत विचित्र केस है कि पत्नी के रिश्तेदारों ने दबाव डाल कर इस केस में मैरिज को ऐब इनिशियो नल एंड वायड करवाया । उसके बाद एलिमनी का जब सवाल आया तो जज कहता है– एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है, मेरा बिल 25 पर नहीं है, लेकिन ये कान्फिलक्टिंग

जजमेंट देखने के बाद जिस काम्प्रीहेंसिव विधेयक की बात मैं कर रहा था उसमें यह भी आना चाहिए। सेक्शन 25 में एली डिकी की परिभाषा की गई है। नलिटी वाली डिक्री का जहां तक सम्बन्ध है, उस में तो वह पत्नी ही कहती है कि यह जो शादी हुई है यह शादी थी ही नहीं। यह अवैध थी और फिर वही एलिमनी के लिए भी कहती है। तो अगर यह एक साल वाला कानून नहीं होता तो यह सारी आफत नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं कि एक धारा से दूसरी धारा का सम्बन्ध है, दूसरी धारा से तीसरी धारा का सम्बन्ध है। अब इसके बारे में गुजरात और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नलिटी के केस में भी यह एलिमनी वाला लागू हो जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने उस के विपरीत निर्णय दिया है। मैं दोनो पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने यह कहा है :

"We may express our view having regard to the argument at the bar that sec. 25 cannot be construed in such a manner as to hold that notwithstanding the nullity of marriage, the wife retains her status for purposes of applying for all many and maintenance. The proper construction of s. 25 in our view would be that where a marriage is admittedly a nullity, but where the question of nullity is in issue and is contentious, the court has to proceed on the assumption until the contrary is proved that applicant is the wife. It is in that sense that s. 25 should be appreciated".

इस में स्पष्ट रूप से मैं यह सुझाव रखना चाहूंगा कि नलिटी डिक्लेयर करने में मर्द का हाथ है और औरत का नहीं है तो मैं चाहता हूं कि इस को इस तरह बदला जाय कि उस के ऊपर जिम्मेदारी आएगी लेकिन जहां उस का दोष नहीं है वहां तो इस को आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर यह एक साल आप खत्म ही कर देंगे तो इस तरह की जो समस्यायें हैं वह नहीं आएंगी।

मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्दी विधेयक आएगा और जल्दी की व्याख्या करने से इनकार किया उन्होंने। लेकिन जल्दी की जो यहां व्याख्या है वह मैं उन के सामने रखना चाहता हूं। फारेन मैरिजेज बिल राज्य सभा में पारित हो कर चार साल तक यहां पड़ा था।

**एक माननीय सदस्य** : एक साल में लाएंगे।

**श्री मधु लिमये** : नहीं, इससे नहीं चलेगा।

हिन्दू मैरिजेज एक्ट का एक संशोधन हुआ था चौथी लोक सभा में। सब लोगों के हाथ पैर पकड़ कर लोगों के साथ अनुनय विनय कर के मैं ने पास करवाया था। दो घंटे के अन्दर फारेन मैरिजेज बिल की भी इसी तरह बिना डिस्कशन के तीनों स्टेज यहां पर पास हो गई थीं। लेकिन उस के लिए इतनी दफा मुझे प्रधान मंत्री को और रघुरमैया को लिखना पड़ा। यह जल्दी की जो व्याख्या है वह करने से इन्होंने इन्कार किया इस में कई साल लगेंगे।

**सभापति महोदय** : उन्होंने एक बात और कही जो आप ने सुनी होगी कि यह जो वर्ष है महिला वर्ष उसी के अन्दर लाने का प्रयास किया जायगा।

**श्री मधु लिमये** : इंट्रोडक्शन और पास होने में बहुत अंतर है। इन्होंने केवल वचन यह दिया है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे।

**एक माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं, पारित भी करेंगे।

**श्री मधु लिमये** : तो अगले सेशन में क्यों नहीं कहती हैं पारित करने के लिए, तब मैं वापस ले लेता हूं। मानसून सेशन में यह विधयक हम लोग लोक सभा में पास

करेंगे यह आश्वासन देंगे तो हम इस को वापस लेने के लिए तैयार हैं, नहीं, इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है, इस पर एक व्यक्ति को छोड़ कर सभी लोगों ने इस का समर्थन किया है । अभी सरोजिनी जी ने कहा था कि जब हिन्दू कोड बिल आया तो इतना जबर्दस्त विरोध था कि वह पास नहीं हो सका तो उस को तीन हिस्सों में करना पड़ा । लेकिन आज आप ने देखा होगा कि जनसंघ के दो मेम्बर यहां पर बोले और पंद्रह दिन पहले जो बोले उन्होंने तो कहा कि आप के बिल में तो और ज्यादा समय कम करना चाहिए । उन्होंने कहा कि एक साल में क्यों रहना चाहिए ? पूरा हटा देना चाहिए । आज बड़े जी ने भी इस का समर्थन किया । तो जमाना बदल गया है, लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है और ऐसी हालत में सरकार जो लापरवाही बरत रही है वह ठीक नही है । क्योंकि कई दफा आप ने मंत्री जी ने, आप तो अभी अभी इस मत्रालय में आई है, लेकिन गोखले जी ने मुझे पत्र लिखा, कई बार टेलीफोन पर कहा कि हां हां, बहुत जल्दी करेंगे, जल्दी करना चाहते हैं । लेकिन कुछ आप लोग नहीं कर रहे हैं । इसलिये सीधा आश्वासन दीजिये । मैंने जो तीन सुझाव दिये है— इन के बारे मे मानसून सेशन मे विधेयक पारित करने का आश्वासन देते है तो मै वापस लेने को तैयार हू ।

17 hrs.

श्री शशि भूषण : वह कह रही है कि करेंग ।

श्री मधु लिमये: प्रोग्राम बनाना इन के हाथ में है । मैं अपने बिल को यहां ला सकता हू, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो सरकार का बिल है, उस पर कितना वक्त लगगा......

श्री शशि भूषण : इस में हम आप की मदद करेंगे ।

श्री मधु लिमये : मदद हो नहीं पाती है—बार-बार साल पारित होने में लग जाते हैं ।

सभापति महोदय : नेक्स्ट सेशन में लाने की बात कही है ।

श्री मधु लिमये : लेकिन उस से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं ।

डा० सरोजिनी महिषी : पास होने को बात मैं कैसे कह सकती हूं ।

श्री मधु लिमये : कन्सीड्रेशन मोशन लाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं । इन्ट्रोडक्शन और कन्सीड्रेशन मोशन में बहुत फर्क है । वे इतना कह दें कि कन्सीड्रेशन मोशन लायगी ।

श्री सरोजिनी महिषी : हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस को लाने की और उस के साथ ही आप के सहयोग से उसे पारित करने का प्रयास करेंगे ।

श्री मधु लिमये : क्या अगले सेशन में होगा ।

डा० सरोजिनी महिषी : डेट देना बहुत मुश्किल है, जल्द से जल्द करेंगे ऐसा मैंने उस समय भी कहा था और अभी भी कह सकती हू ।

श्री मधु लिमये : ठीक है—मैं मान लूगा ।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to Shri Madhu Limaye to withdraw the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955."

*The motion was adopted.*

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक वापस लेता हूं ।